न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 15/2025

शक्ति सिंह पुत्र सोन सिंह निवासी–ई–401, मंगलम रेजीडेन्सी, कोटड़ा अजमेर।
...........प्रार्थी

बनाम

1. थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. जिला रसद अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर

...........अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री टीकम सिंह रावत	अभिभाषक	प्रार्थी
श्री रेणुका चतुर्वेदी	प्रवर्तन अधिकारी	अप्रार्थी सं. 02

(सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497, 503 बी.एन.एस.एस. 2023)

आदेश

दिनांक– 22.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि पुलिस थाना किशनगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस.एस., धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में वाहन रेनॉल्ट डस्टर कार संख्या RJ-45-CG-5354 व एक एपल का लेपटॉप, मोबाईल, 80 हजार रूपये नगद, फाईलें, चैक बुक, सील, स्टाम्प, गाडियों की आर.सी., डी.एल, पेन कार्ड, आधार कार्ड, कपड़ो का बैग, गाड़ी की चाबी, ड्रॉअर की चाबी, ऑफिस की चाबी, आदि को जब्त किया गया हैं। उक्त वाहन के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका हैं। प्रार्थी शक्ति सिंह के हक व पक्ष में उक्त वाहन के संबंध में उसके मुख्तयारआम अनवर खान द्वारा दिनांक 17.12.2024 को निष्पादित की गयी जिसे नोटरी पब्लिक युवराज सिंह रावत द्वारा विधिवत अपने सिरियल नम्बर 1529 पर तस्दीक किया गया था। जिस मुख्तयारनामे के आधार पर प्रार्थी को उक्त वाहन को छुडाने हेतु समस्त अधिकार प्रदान कर रखे हैं। उपरोक्त वाहन व अन्य सामान को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण से टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पर उभय पक्ष को सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पुलिस थाना किशनगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस.एस., धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में वाहन रेनॉल्ट डस्टर कार संख्या RJ-45-CG-5354 व एक एपल का लेपटॉप, मोबाईल, 80 हजार रूपये नगद, फाईलें, चैक बुक, सील, स्टाम्प, गाडियों की आर.सी., डी.एल, पेन कार्ड, आधार कार्ड, कपड़ो का बैग, गाड़ी की चाबी, ड्रॉअर की चाबी, ऑफिस की चाबी, आदि को जब्त किया गया हैं। उक्त वाहन के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका हैं। प्रार्थी शक्ति सिंह के हक व पक्ष में उक्त वाहन के संबंध में उसके मुख्तयारआम अनवर खान द्वारा दिनांक 17.12.2024 को निष्पादित की गयी जिसे नोटरी पब्लिक युवराज सिंह रावत द्वारा विधिवत अपने सिरियल नम्बर 1529 पर

जिला कलक्टर
अजमेर

तस्दीक किया गया था। जिस मुख्तयारनामे के आधार पर प्रार्थी को उक्त वाहन को छुडाने हेतु समस्त अधिकार प्रदान कर रखे हैं। उक्त वाहन प्रार्थी के रोजमर्रा के काम में आने वाला एक मात्र साधन है जिसके अभाव में प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष दांडिक विविध (सी.आई.एस.) प्रकरण संख्या 3530/2025 बउनवान शक्ति सिंह रावत बनाम सरकार में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 बी.एन.एस.एस. वास्ते सुपुर्दगी पर छुड़वाने वाहन रेनॉल्ट डस्टर कार संख्या आर.जे. 45.सी.जी. 5354 में दिनांक 04.06.2025 को हुए निर्णय में "इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ई के प्रावधानों के तहत कोई भी वस्तु जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हो परिवहन में प्रयुक्त होती है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर या संबंधित राज्य सरकार को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा किसी अन्य न्यायालय, ट्रिब्यूनल व अन्य ओथेरिटी रखने वाले अधिकारी को कोई आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं हैं। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिए जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी/मुख्यारआम शक्ति सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497, 503 बी.एन.एस.एस अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।" उपरोक्त आदेश के पश्चात् प्रार्थी/सुपुर्दगीगार माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी के जब्तशुदा उक्त वाहन रेनॉल्ट डस्टर कार संख्या **RJ-45-CG-5354** व अन्य सामान एक एपल का लेपटॉप, मोबाईल, 80 हजार रूपये नगद, फाईलें, चैक बुक, सील, स्टाम्प, गाड़ियों की आर.सी, डी.एल, पेन कार्ड, आधार कार्ड, कपड़ो का बेग, गाड़ी की चाबी, ड्रॉअर की चाबी, आफिस की चाबी, आदि को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 1 ने हाजरी माफी चाहने बाबत् पत्र दिनांक 25.07.2025 पेश कर समय चाहा गया। तत्पश्चात् थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ़ ने क्रमांक 2836 दिनांक 29.07.2025 पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 18.03.2025 को प्रार्थी श्री नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी द्वितीय अजमेर द्वारा उपस्थित थाना होकर एक पत्र पेश किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट/एफ.आई.आर. दर्ज करवाने बाबत्। दिनांक 18.03.2025 को नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी द्वितीय अजमेर मय प्रवर्तन दल द्वारा थानाधिकारी श्री भीखाराम काला की सूचना पर खोड़ा माता इंडस्ट्रीयल एरिया उदयपुर कलां पंचायत समिति सिलोरा किशनगढ़ स्थित एक व्यवसायिक भूखण्ड पर पहुंचा जहा पर मुताबिक सूचना के वाहन टैंकर नम्बर जीजे 12 बीवी 9115 से डीजल समकक्ष पेट्रोलियम पदार्थ को चोरी छिपे निकालकर दूसरे टैंकर एमएच 04 एलई 1320 में पम्प सेट की सहायता से भरा जा रहा था। अभियुक्तगण को दिनांक 19.03.2025 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष पेश किया जाकर दिनांक 21.02.2025 तक पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया गया तथा दौराने पीसी रिमाण्ड अभियुक्तगण के समक्ष प्रकरण हाजा की घटना में प्रयुक्त कार नम्बर आरजे. 45 सीजी 5354 जो की घटना दिनांक 17.03.2025 से घटनास्थल पर खड़ी थी उक्त कार को जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया गया तथा कार में मिले एक सूटकेस, कपड़े का बैग की तलाशी के दौरान मिली बैंक पासबुक, चेकबुक, खाली स्टाम्प पेपर, रबर स्टेम्प मोहर, लेपटॉप नकद अस्सी हजार रूपये आदि को जरीये फर्द जब्ती जब्त किया गया। अब तक के सम्पूर्ण अनुसंधान से

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अभियुक्त शक्ति सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी गांव बडलीया थाना अलवरगेट जिला अजमेर हाल निवासी ई–401, मंगलम रेजीडेंसी कोटड़ा पुलिस थाना हरिभाउ उपाध्याय जिला अजमेर के विरूद्ध अपराध धारा 303 (2) बीएनएस व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित हैं। मुकदमा हाजा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त शक्ति सिंह रावत वास्ते अनुसंधान हेतु दिनांक 26.05.2025, दिनांक 29.05.2025 तथा दिनांक 30.05.2025 को उपस्थित थाना हुआ लेकिन मन प्रार्थी थानाधिकारी अन्य मुकदमा नम्बर 93/2025 धारा 307, 3(5) बीएनएस के अनुसंधान में व्यस्त होने के कारण अभियुक्त शक्ति सिंह रावत से अनुसंधान नहीं किया जा सका था, तत्पश्चात् अभियुक्त शक्ति सिंह रावत से मुकदमा में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका हैं। प्रकरण में घटना दिनांक 17.03.2025 घटनास्थल पर अभियुक्त शक्ति सिंह द्वारा डस्टर कार नम्बर आर.जे. 45 सीजी 5354 को छोड़कर मौके से भाग गया था जिस उक्त कार को जरीये फर्द जब्ती के जब्त किया जाकर कार में मिले सामान व दस्तावेज को जब्त किया जाकर मालखाना में सुरक्षित रखा गया हैं। उक्त जब्तशुदा डस्टर कार व सामान के सम्बन्ध में शक्ति सिंह से अनुसंधान किया जा चुका हैं।

जिला रसद अधिकारी द्वितीय अजमेर द्वारा टिप्पणी पत्रांक 4128 दिनांक 20.06.2025 प्रस्तुत कर दौराने बहस निवेदन किया कि दिनांक 18.03.2025 को जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वितीय द्वारा खोड़ा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया उदयपुरकलां किशनगढ़ में कार्यवाही कर पेट्रोलियम पदार्थ मय दो टैंकर जब्त किया गया था। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.03.2025 को ही थाना किशनगढ़ में दर्ज करवा दी गई थी। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत माननीय जिला कलक्टर न्यायालय अजमेर में प्रस्तुत कर दिया गया था, जो दिनांक 06.06.2025 को फैसला हो चुका हैं। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 15/2025 बउनवान शक्ति सिंह रावत बनाम सरकार में वर्णित वाहन संख्या RJ-45-CG-5354 (रेनॉल्ट डस्टर) को जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) द्वारा जब्त नहीं किया गया। इसका ना तो मौका फर्द एवं जब्ती में उल्लेख है ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में हैं। अतः उपरोक्त वाहन को छोड़े जाने के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी द्वितीय अजमेर स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता हैं।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है दिनांक 18.03.2025 को नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी द्वितीय अजमेर मय प्रवर्तन दल द्वारा थानाधिकारी श्री भीखाराम काला की सूचना पर खोड़ा माता इंडस्ट्रीयल एरिया उदयपुर कलां पंचायत समिति सिलोरा किशनगढ़ स्थित एक व्यावसायिक भूखण्ड पर पहुंचा जहा पर मुताबिक सूचना के वाहन टैंकर नम्बर जीजे 12 बीवी 9115 से डीजल समकक्ष पेट्रोलियम पदार्थ को चोरी छिपे निकालकर दूसरे टैंकर एमएच 04 एलई 1320 में पम्प सेट की सहायता से भरा जा रहा था। अभियुक्तगण को दिनांक 19.03.2025 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष पेश किया जाकर दिनांक 21.02.2025 तक पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया गया तथा दौराने पीसी रिमाण्ड अभियुक्तगण के समक्ष प्रकरण हाजा की घटना में प्रयुक्त कार नम्बर आरजे. 45 सीजी 5354 जो की घटना दिनांक 17.03.2025 से घटनास्थल पर खड़ी थी उक्त कार को जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया गया तथा कार में मिले एक सूटकेस, कपड़े का बैग की तलाशी के दौरान मिली बैंक पासबुक, चेकबुक, खाली स्टाम्प पेपर, रबर स्टेम्प मोहर, लेपटॉप

जिला कलक्टर
अजमेर

ण संख्या:– 13/2025

नकद अस्सी हजार रूपये आदि को जरीये फर्द जब्ती जब्त किया गया। अब तक के सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त शक्ति सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी गांव बडलीया थाना अलवरगेट जिला अजमेर हाल निवासी ई–401, मंगलम रेजीडेंसी कोटड़ा पुलिस थाना हरिभाउ उपाध्याय जिला अजमेर के विरूद्ध अपराध धारा 303 (2) बीएनएस व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित हैं। मुकदमा हाजा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त शक्ति सिंह रावत वास्ते अनुसंधान हेतु दिनांक 26.05.2025, दिनांक 29.05.2025 तथा दिनांक 30.05.2025 को उपस्थित थाना हुआ लेकिन मन प्रार्थी थानाधिकारी अन्य मुकदमा नम्बर 93/2025 धारा 307, 3(5) बीएनएस के अनुसंधान में व्यस्त होने के कारण अभियुक्त शक्ति सिंह रावत से अनुसंधान नहीं किया जा सका था, तत्पश्चात् अभियुक्त शक्ति सिंह रावत से मुकदमा में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका हैं। प्रकरण में घटना दिनांक 17.03.2025 घटनास्थल पर अभियुक्त शक्ति सिंह द्वारा डस्टर कार नम्बर आर.जे. 45 सीजी 5354 को छोड़कर मौके से भाग गया था जिस उक्त कार को जरीये फर्द जब्ती के जब्त किया जाकर कार में मिले सामान व दस्तावेज को जब्त किया जाकर मालखाना में सुरक्षित रखा गया हैं। वर्तमान में जब्तशुदा डस्टर कार संख्या RJ-45-CG-5354 व सामान के सम्बन्ध में शक्ति सिंह से अनुसंधान किया जा चुका हैं। किन्तु हाजा न्यायालय धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत केवल जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगीनामे पर छोड़े जाने की अधिकारिता रखता हैं। प्रार्थी द्वारा वाहन के अतिरिक्त अन्य सामान एक एप्पल लैपटॉप, मोबाईल, 80 हजार रूपये नगद, फाईलें, चैक बुक, सील, स्टाम्प, गाड़ियों की आर.सी, डी.एल, पेन कार्ड, आधार कार्ड, कपड़ो का बैग, गाड़ी की चाबी, ड्रॉअर की चाबी, ऑफिस की चाबी, आदि को छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही हैं। चूंकि वाहन गैर कानूनी/अवैध गतिविधी में लिप्त पाया जाने से जब्तशुदा वाहन रेनॉल्ट डस्टर वाहन नं. RJ-45-CG-5354 पर 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती हैं। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ़ जिला–अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर वाहन रजिस्ट्रेशन नं0 RJ-45-CG-5354 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर